

छोटूराम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत ।

तथा

लक्ष्मी फिशरीज़, ककरोई, सोनीपत  
के बीच

मुर्गी पालन क्षेत्र में सहयोग के लिए  
समझौता ज्ञापन



Laxmi Fisheries  
VPO- Kakroi Road,  
Sonapat-131001

*Laxmi*

छोटूराम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत।

तथा

लक्ष्मी फिशरीज, ककरोई, सोनीपत

के बीच

मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग के लिए

समझौता ज्ञापन

दिनांक 19 जून 2022 को सोनीपत में हस्ताक्षर किए गए

इसमें छोटूराम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत द्वारा किया जाए और एतदपश्चात इसे 'प्रथम पक्षकार' के रूप में कहा जाए और इसमें लक्ष्मी फिशरीज, ककरोई, सोनीपत द्वारा किया जाए और एतदपश्चात इसे 'द्वितीय पक्षकार' के रूप में कहा जाए।

इसमें दोनों पक्षकारों को संयुक्त रूप से 'दो पक्षकार' कहा जाए।

दोनों पक्षों के लिए मत्स्य पालन का महत्व पहचानते हुए तथा संयुक्त सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने तथा मत्स्य पालन में मैत्रीपूर्ण सहयोग और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए तथा समानता, पारस्परिकता और सम्मान के सिद्धान्तों के आधार पर पारस्परिक परामर्श के पश्चात दोनों पक्षकार निम्नलिखित के लिए सहमत हुए हैं:-

**अनुच्छेद-1 : इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य**

दोनों पक्षकारों का लक्ष्य अपने-अपने हितों के कृषि के मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग के लिए साझा ढांचा तैयार करना है जिसमें मत्स्य पालन का संवर्द्धन और विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण तथा मत्स्य पालन की आधुनिक पद्धतियों में विज्ञान, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरण शामिल है।



Laxmi Fisheries  
VPO-Kakroi Road,  
Sonapat-131001

## अनुच्छेद-2 सहयोग की संभावना

दोनों पक्ष मत्स्य पालन और इससे संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमत हुए:

क) सापेक्षिक अध्ययन करने के अलावा कीट नियंत्रण, रोग निवारण की समस्या के समाधान के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान।

ख) वैज्ञानिक व तकनीकी जानकारी और संबंधित विशेषज्ञता-अर्थात् नवीनतम प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन व इस में उपचारित जल का उपयोग करने का आदान-प्रदान।

ग) मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण में सहयोग करना।

घ) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य उद्यमों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से मत्स्य पालन और संबंधित उप उत्पाद में परस्परिक व्यापार के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

ङ) साझा हित के विषयों पर सेमीनार, कार्यशाला व प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

च) पारस्परिक सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षकार सहमत हो।

## अनुच्छेद-3 प्रयोग

दोनों पक्षकार निम्नलिखित के लिये सहमत हुए हैं-

(क) पारस्परिक सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को परिभाषित करना और कार्य योजनाएँ, संबंधित स्कीम व परियोजनाएँ तैयार करना।

(ख) दोनों पक्षकारों द्वारा विधिवत अनुमोदित नियोजित सहयोग की स्कीमों के अनुपालन में सहयोग और आदान-प्रदान के दौरों की परियोजनाओं का निष्पादन करना।





#### अनुच्छेद-4: बौद्धिक संपदा अधिकार

बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधी मुद्दे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अधिशासित किए जाएंगे:

1. प्रत्येक पक्षकार अपने कानूनों, नियमों व विनियमों जिनके प्रति दोनों पक्षकार वचनबद्ध हैं, के अनुसार समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सहयोग से सृजित बौद्धिक संपदा अधिकार का उचित रूप से संरक्षण सुनिश्चित करेगा।

#### प्रकाशन :

इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सहकारों द्वारा संचालित संयुक्त कार्यों से उद्भूत कोई भी प्रकाशन, दस्तावेज तथा कागजात पर संयुक्त रूप से स्वामित्व होगा। किसी भी प्रकाशन दस्तावेज ओर/अथवा कागजात से संबंधित नाम, लोगो तथा/अथवा सहभागियों के अधिकारिक प्रतीक के लिए दोनों पक्षकारों की पूर्व अनुमति अपेक्षित है। तथापि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारिक प्रतीक तथा लोगो का दुरुपयोग न हो।

#### अनुच्छेद-5 अवधी एवं नवीनीकरण

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से लागू होगा तथा यह पांच वर्षों के लिए लागू रहेगा। यदि दोनों पक्षकारों में से एक भी पक्षकार अन्य पक्षकार को समझौता ज्ञापन के समाप्त होने से कम से कम छः माह पूर्व लिखित नोटिस नहीं देता है तो यह समझौता ज्ञापन स्वतः ही अगले पांच वर्षों के लिए पुनः नवीनीकृत हो जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने से बकाया योजनाओं व परियोजनाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा अथवा उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुच्छेद-6 स्वतंत्रता

दोनों में से कोई भी पक्षकार संगठनात्मक तथा कानूनी तौर पर अपने कार्य तथा स्वतंत्रता को बनाये रखेगा।



### अनुच्छेद-7 विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन के किसी भी प्रावधान के निर्वचन अथवा कार्यान्वयन से उद्भूत किसी भी विवाद के पक्षकारों द्वारा बातचीत अथवा परामर्श के माध्यम से निपटाया जायेगा।

### अनुच्छेद-8 संशोधन

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन दोनों पक्षकारों द्वारा पूर्व लिखित समझौते के अध्यक्षीन होगा व समझौता ज्ञापन को जारी करने के लिए उपयोग किए गए तरीके के अनुसार लागू किया जाएगा। संशोधन अथवा परिवर्तन करने का इच्छुक पक्ष अपनी इच्छा को लिखित माध्यम से व्यक्त करेगा।

इस समझौता ज्ञापन की एक मूल प्रति (हिन्दी भाषा), सभी समान रूप से प्रामाणिक, पर दिनांक 19 जून 2022 को सोनीपत में हस्ताक्षर किए गए। निर्वचन में किसी प्रकार का विवाद होने पर हिन्दी पाठ को ही प्रभावी माना जाएगा।

  
प्राचार्य  
छोटू राम आर्य कालेज  
सोनीपत

Laxmi Fisheries  
VP  
Sonepat-131001

लक्ष्मी फिशरीज  
गांव ककरोई  
सोनीपत